भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 501

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

एमएसएमई के तहत विकसित भारत 2047

501. श्री गोडम नागेश :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धित बनाने और उनके विकास को सुगम बनाने के लिए विनियामक वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए समय पर और पर्याप्त वित्त, जरूरी प्रौद्योगिकियों और उपयुक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करना सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता है जो इस नीतिगत मिश्रण का एक महत्वपूर्ण घटक भी होगा और पंचामृत लक्ष्यों के साथ संरेखित होगा और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के अंतर्गत विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए अब तक क्या धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) और (ख): एमएसएमई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा कई पहलें की गई हैं। एमएसएमई के लिए समय पर और पर्याप्त वित्त, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी और उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, सरकार की नीतिगत प्राथमिकता है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 500 लाख (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण।
- एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को ग्रोथ कैपिटल प्रदान करने के लिए आत्म निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15% से 35% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिलाओं सहित विशेष वर्गों से संबंध रखने वाले लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी, ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने टूल रूम और तकनीकी संस्थानों के अंतर्गत संबंधित प्रौद्योगिकी के साथ एमएसएमई को सामान्य इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, हैंड टूल्स, प्लास्टिक, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्जिंग और फाउंड्री, खेल का सामान, लैदर और

फुटवियर, सुगंध और सुरस आदि जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थान स्थापित किए हैं, जिन्हें प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) के रूप में जाना जाता है। तकनीकी विकास से संबंधित कार्य करने के अतिरिक्त, ये प्रौद्योगिकी क्षेत्र (टीसी) युवाओं को कौशल प्रदान करते हैं और उद्योग में कार्यरत श्रमशक्ति का पुनः कौशल निर्माण करते हैं।

- उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और बीपीएल सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्व-रोजगार या उद्यमिता का करियर विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में चयन करने के लिए सहायता प्रदान करना है।
- इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 20.12.2023 को परिवर्तन के लिए एमएसई हरित निवेश और वित्तपोषण (एमएसई-गिफ्ट) और सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई योजना (एमएसई-एसपीआईसीई) स्कीमों की शुरुआत की है जो 'पंचामृत' लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

i. एमएसएमई मंत्रालय की एमएसई-गिफ्ट स्कीम का उद्देश्य एमएसई को रियायती लागत पर संस्थागत वित्त प्रदान करना है, ताकि एमएसएमी का विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण अनुकूल सतत परियोजनाओं को अपनाने तथा जलवायु परिर्तन के अनुकूल और उन परिवर्तनों को कम करने में सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए पर्याप्त तकनीकी हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के साथ-साथ स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकियों की बढ़ती लागत को न्यूनतम/कम किया जा सके। पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परियोजनाएं जैसे सौर, पवन, बायोगैस आदि जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन; स्वच्छ परिवहन जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम हो; ऊर्जा-कुशल परियोजनाएं जैसे ग्रीन बिल्डिंग; अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें पुनर्चक्रण, कुशल निपटान और ऊर्जा में रूपांतरण आदि इस स्कीम के अंतर्गत शामिल हैं।

ii. एमएसई-एसपीआईसीई का प्राथमिक लक्ष्य भारत में संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और एमएसई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। पात्र एमएसई संयंत्र और मशीनरी की लागत पर 25% पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र हैं, जो प्रति एमएसई 12.5 लाख रुपए की सीमा के अधीन है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास, नवोन्मेष और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊपर वर्णित उपायों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। एमएसई-गिफ्ट और एमएसई-स्पाईस स्कीमों के लिए स्वीकृत निधि क्रमशः वर्ष 2023-26 और 2023-27 के लिए 478 करोड़ रुपए और 472.5 करोड़ रुपए है।

*****